(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इस बोर्ड का कार्य-क्षेत्राधिकार क्या होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में एक पर्यवेक्षी निकाय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जो इस निकाय की संरचना और कार्यकलाप तैयार कर रहा है ।

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कारतूसों की जब्ती

1616. **श्री लक्खीराम अग्रवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 और 13 जनवरी, 1993 को अमरीकी पासपोर्ट धारी दो भारतीय नागरिकों से इंदिरा गांधी अन्तर-राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क अधिकारियों ने भारी मात्रा में कारतूस जब्त किये थे ;

(ख) यदि हां, तो सीमाशुल्क अधिकारियों ने उक्त यात्रियों को पुलिस को सौंपने के बजाए छोड़ क्यों दिया ;

(ग) क्या इन दोनों यात्रियों को पुलिस को न सौंपने के अपराध में उक्त सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 12/13-1-93 को इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों से 11,450 रुपए और 14,950 रुपए मूल्य के कारतूस जब्त किए ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Seizure of smuggled silver

1617. SHRI JITENDRABHAI LABSHANKER BHATT : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the quantity of silver that has been seized by Customs Department during the last four months and the places from where the same has been seized;

(b) what is the value of such seized silver;

(c) whether it is a fact that these smuggling activities have largely been increased in Saurashtra and Kutch regions of Gujarat; and

(d) what steps Government have taken to stop such activities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) to (c) About 53.17 N.T. of silver valued at Rs. 34 crores approximately has been seized under the provisions of the Customs Act, 1962 during the last 4 months from November 1992 to February, 1993 mainly in Bombay, Indore, Kanpur, Bangalore, Patna and the State of Gujarat, Saurashtra and the Kutch regions of Gujarat continue to be sensitive to smuggling including that of silver.

(d) The Customs authorities are vigilant against smuggling activities. The Customs formations have been equipped with vehicles, vessels, firearms, etc. Sophisticated equipment like metal detectors, night vision binoculars, etc. are being increasingly utilised. Telecommunication network has also been provided wherever considered necessary. Close co-ordination is being maintained among all the agencies concerned in the prevention and detection of smuggling activities.

In addition, with effect from 9th February, 1993, passengers of Indian origin or those holding Indian passports, who are returning to India after a period of stay of at least, 6 months abroad, have been permitted to import upto 100 kgs. of silver on payment of Customs duty at the rate of Rs. 500 per kg. in convertible foreign exchange.